□□□□ □□□□□
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

□□ज□ □□□

तारांकित प्रश्न □ख□□: 29*

20 □□□□, 2021 □□ □□□□□□□□□□□□□□प्रश्□ □□ □त्त□

ब□□ □□□□ □□ □□□□□-19 के डेल्टा वेरिएन्ट के इलाज के लिए उपचार संबंधी नवाचार

29* श्री□ □□□ □□□ □□□□□

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्या मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(□) क□□ □□□□□ □□ब□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□ के डेल्टा वेरिएंट के इलाज के लिए कोई उचार संबंधी □□□□□□ □□□□ f□□□ □;□

(ख) क्या यह सच है कि ब्लैक फंगस के शिकार व्यक्ति को लम्बे समय तक अस्पताल म भर्ती रहना पड़ता है; □□

(ग) क्या सरकार उनके उपचार पर होने वाले खच के संबंध म कोई दिशा-निदश जारी करेगी ताकि निधनतम व्य□क्ति □□ □□□□□ □□□ □□?

□त्त□

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (श्री मनसुख मांडविया)

(□) □□(□): □□□□□ □□□ □□□ □□ □□ f□□□ □□□ □□□

f□□□□ 20.07.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न □ख□□ 29* □□□त□□ □ □□ले□□□□ □□□□□

(□) □□ (□): □□□□□-19 के संबंध म राष्ट्रीय कायबल म विशेषज्ञों, जिसम नीति आयोग, आईसीएमआर, एम्स (दिल्ली), एनआईवी, डब्ल्यूएचओ (भारत), प्रतिष्ठित जन स्वास्थ्य एडवोकेसी समूहों के विशेषज्ञ सम्मिलित थे, □□□□□□-□□□□ □□□श्व□□ □□□□□-19 □□□□□□□□ म□□□□□□□□□□□□ (□□□□□) □□□□□□□□ □□□प्र□□□ □□□□□□ म एक व्यापक एडवाइजरी तैयार को गई थी तथा उसका 7 जून, 2021 को सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों म प्र□□□-प्रसार किया गया था। □म□□□□□□□-बी को पसन्द को औषधि के रूप म निर्धारित किया गया है। यह औषधि दो फॉमूलेशनों (i) आईपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी तथा (ii) एम्फॉटोरिसिन बी डिऑक्सीकोलेट, म उपलब्ध है, जो प्रभावोत्पादकता म एक समान ह। तथापि दूसरी औषधि का उपयोग, इसके किडनी फंक्शन टेस्ट तथा इलैक्ट्रोलाइट असंतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण बहुत ही सावधानी से किए जाने को आवश्यकता होती है। औषधि का दूसरा विकल्प पोसाकोनज़ोल ह जिसका उपयोग किडनी फंक्शन, एम्फोटेरिसिन बी से होने वाली औषधि प्रतिक्रिया, इलैक्ट्रोलाइट असंतुलन अथवा एम्फोटेरिसिन बी को अनुपलब्धता म किए गए समझौतों के मामलों म किया जा सकता है।

उत्थापित ब्लड शुगर स्तरों के बीच संबंध (या तो मरीजों म पहले से ही मौजूद डायबिटीज मैलिटस □□□□ स□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□स□□□□□□□□) का संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2021 को "□□□□□-19 मरीज प्रबन्धन सुविधा केन्द्र म डायबिटिज़ के निदान एवं प्रबंधन के बारे म नैदानिक दिशा-निदश नामक अद्यतन जानकारी जारी को गई थी।

इसी प्रकार म्यूकोरमाइकोसिस तथा अन्य फंगल संक्रमणों से पीड़ित मरीजों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित □□-आयामी दृष्टिकोण को समझते हुए, म्यूकोरमाइकोसिस तथा अन्य फंगल संक्रमणों के प्रबंधन के लिए 11 जून, 2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक चैकलिस्ट भी परिचालित को गई थी।

□□□□□-19 मामलों के प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए नैदानिक प्रबंधन दिशानिदश, कोविड-19 के साधारण से गम्भीर मामलों तक के सक्त चिकित्सा पयवेक्षण के तहत प्रबंधन हेतु स्टीरॉइड्स के युक्ति संगत उपयोग का समथन करते ह। इसके अलावा, स्टीरॉ□ड्□ □□□ □न□ इम्यूनोसप्रैसिव औषधियों के उपयोग के बीच संबंधों को नोट करते हुए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा

"□□□□□-19 के मरीजों के उपचार में स्टीरॉइड्स तथा टोसिलिजुमाब के युक्तिसंगत उपयोग हेतु एडवाइजरी"
□□□□ □ो □□ □□□

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, ऐसे कुछ साक्ष्य हैं जो सार्स-□□□-2 □□□ला□ □ि□□□□□ संक्रमित मामलों के संबंध में रोग की गंभीरता में संभावित वृद्धि तथा उच्चतर प्रसारण दर्शाते हैं, परंतु ऐसे रोगियों के प्रबंधन के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा किसी पृथक नैदानिक प्रबंधन नवाचार का समर्थन नहीं किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श के बाद इसी नतीजे पर पहुँचा है कि □□□□□-19 □□□□ो □□प्र□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ प्र□□□ □□□□□□ □□□□□-19 के डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित मामलों के उपचार हेतु पर्याप्त है तथा नैदानिक प्रबंधन नवाचार में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।

म्यूकोरमाइकोसिस और दूसरे फंगल संक्रमणों को सामान्यतया अवसरवादी संक्रमण के रूप में देखा जाता है। ये संक्रमण उन व्यक्तियों में पाए जाते हैं जिनमें या तो मधुमेह, कैंसर विशेषकर हीमाटोलॉजिकल □□ग्नेंसिज जैसी रोग प्रक्रिया के कारण अथवा कोविड-19 सहित अन्य विकारों के प्रबन्धन हेतु स्टीटॉइड्स, इम्यूनोसुप्रेसिव जैसी कुछ विशेष औषधियों के लम्बी अवधि तक/अकारण उपयोग किए जाने के दुष्प्रभावों के कारण कम आधारभूत प्रतिरोधक क्षमता होती है।

□□□□□□□ो □ □□क्षे□ उपचार की अवधि रोग की उपस्थिति के प्रकार, महत्वपूर्ण अंगों पर रोग के विस्तार, चिकित्सा की प्रतिक्रिया तथा सह-रुग□□□ओं □ो □□□से□□□ □□ □से□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□

(ग): श्लेष्मा और अन्य कवक रोगों का उपचार केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य और परिवार □ल्याण मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्थानों में निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत पीएम-□□□□□ में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपए के कवर का प्रावधान किया गया है। यह स्कीम 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों के साथ शुरू की गई थी। तथापि, स्कीम को कार्यान्वित कर रहे 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों □ लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 13.44 परिवार हो गई है। आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के लाभार्थी श्लेष्मा, □□□ □□□ इत्यादि सहित कोविड पश्चात् संबंधी जटिलताओं का स्कीम के तहत निःशुल्क उपचार प्राप्त कर □□□□□

□□ज्यों को एम्फोटेरेसिन बी औषधि के आवंटन और आपूर्ति हेतु सहायता भी प्रदान की जा रही है। उपचार हेतु रिटेल फॉर्मेसी नेटवर्क सस्ती दवाएं और विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) के तहत एम्फोटेरेसिन बी

सहित औषधियाँ सस्ते दामों पर प्रदान की जा रही ह। इसके अलावा, प्रधान □त्र□ □□□□□□ □□□□□□ परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत भी एम्फोटेरेसिन बी □स□□ लागत पर प्रदान की जा रही है।

*****